न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मण्डला (मध्य प्रदेश)

–::: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक :::–

क्रमांक– /सी.जे.एम/2022, मण्डला, दिनांक–07.09.2022

मैं श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला पदस्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उचित रूप से कार्य वितरण/संपादन हेतु पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधित करती हूँ, जो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, मण्डला के अनुमोदन के उपरांत दिनांक–**07.09.2022** से प्रभावी होगा।

क्र	नाम मजिस्ट्रेट	अधिकार क्षेत्र	कार्य विभाजन
1	2	3	4
1.	**श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–मण्डला म.प्र.**	**(अ) कोतवाली–मण्डला, थाना महाराजपुर, थाना खटिया, थाना यातायात मण्डला** **(ब) सम्पूर्ण राजस्व जिला मण्डला,**	1– कॉलम नंबर–3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण, अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण। 2– म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत मण्डला जिले के समस्त थानों एवं आबकारी वृत्तों के 50 बल्क लीटर से अधिक मदिरा के मामले। 3– पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग (आबकारी वृत्त मण्डला एवं चाबी को छोड़कर) स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा, श्रम विभाग, कारखाना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि विभागों द्वारा प्रस्तुत व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य सभी प्रकरण। 4– अन्य समस्त अधिनियम जिनके उपबंधों के अनुसार ऐसे मामले जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय हैं। 5– मण्डला जिले के सभी थाना क्षेत्रों से संबंधित खारिजी प्रकरण। 6– नगर पालिका मण्डला के अंतर्गत उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत के व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य सभी दांडिक प्रकरण। 7– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मण्डला द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरण। 8–सिनेमेटोग्राफी अधिनियम एवं कॉपीराईट अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त प्रकरण। 09– सम्पूर्ण मण्डला जिले से उत्पन्न भा.दं.सं. के अध्याय 06 राज्य के विरूद्ध अपराधों धारा 121 से 130 के तहत प्रस्तुत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य प्रकरण।

			10– धारा 113/194 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 09 टन से अधिक के समस्त प्रकरण। 11–अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय से इस न्यायालय को आहरित किये गये प्रकरण या वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस न्यायालय को अंतरित/प्रेषित किये गये प्रकरण। 12– मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य ऐसे समस्त प्रकरण, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है। 13– मुख्यालय मण्डला के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम/वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं खान खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण ।
2.	**श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.**	**महिला थाना मण्डला**	1– कॉलम नंबर–3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद, अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण। 2– मुख्यालय मण्डला क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 6– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक–1020/गोप0/2020/दो–3–1/ 2020, दिनांक 14.10.2020 के परिपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला के विविध आदेश क्रमांक क/सां.लि./दो–12–1/2014 दिनांक 06.11.2020 के आदेशानुसार मुख्यालय मण्डला (अंतर्गत समस्त आरक्षी केन्द्र) के लिए महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों से संबंधित प्रकरण। 7– माननीय् अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 8– कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम 3 के थाना क्षेत्र एवं थाना मण्डला, महाराजपुर व खटिया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां। 9– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण।
3.	**श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला**	**1. थाना मोहगांव,**	1– कॉलम नंबर–3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद, अंतिम प्रतिवेदन एवं खात्मा प्रकरण। 2– कॉलम नं–3 के आरक्षी केन्द्र एवं थाना **कोतवाली**

			मण्डला, थाना महाराजपुर एवं थाना खटिया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के अंतर्गत थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न 50 बल्क लीटर से कम के आबकारी प्रकरण, जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत हों एवं आबकारी वृत्त मण्डला एवं चाबी क्षेत्र से उत्पन्न 50 बल्क लीटर से कम के आबकारी अधिनियम के प्रकरण। 4– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला के द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 6– थाना कोतवाली मण्डला, थाना महाराजपुर, थाना खटिया के क्षेत्राधिकार के परिवाद प्रकरण।
4.	**श्री नरेश सिंह गौंड , रजिस्ट्रार/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला–मण्डला म.प्र.**	**2. थाना बम्हनी (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर)**	1– कॉलम नंबर–3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद, अंतिम प्रतिवेदन एवं खात्मा प्रकरण। 2– कॉलम नं–3 के आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के अंतर्गत थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न 50 बल्क लीटर से कम के आबकारी प्रकरण, जो पुलिस द्वारा प्रस्तुत हों। 4– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला के द्वारा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। 6– ग्राम न्यायालय से उद्भूत समस्त प्रकरण।
5.	**सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला,** **जिला– मण्डला, म.प्र.**	**1. थाना घुघरी** (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को	1– कॉलम नंबर–3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न (विशेष न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर) मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद, अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण। 2– कॉलम नंबर 3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न एवं आबकारी वृत्त बिछिया से उत्पन्न,

		छोड़कर)	मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य, 50 बल्क लीटर से कम के म.प्र. आबकारी अधिनियम के प्रकरण। 3— कॉलम नं.—3 के थाना (थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 4— कॉलम नम्बर 3 के आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका/नगर पंचायत(थाना घुघरी के 3 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 5— माननीय् अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 6— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण। 7— समस्त मण्डला क्षेत्र के जन्म—मुत्यु प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरण।
6.	**श्रीमती जागृति एस. चंद्रकापुरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला— मण्डला**	**1—आरक्षी केन्द्र नैनपुर**, **2—जी.आर.पी. थाना नैनपुर**, **3—थाना खटिया** की पुलिस चौकी टाटरी के 27 गावं, जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं) **4—थाना बम्हनी** की पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरूर) के (के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं)	1— कॉलम नं.—3 के थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले समस्त दाण्डिक व विविध आपराधिक प्रकरण, परिवाद कार्यवाहियां, खात्मा प्रकरण। 2— कॉलम नंबर—3 के थाना क्षेत्र से उद्भूत 50 बल्क लीटर से कम मात्रा के आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण जो पुलिस एवं आबकारी वृत्त नैनपुर के द्वारा प्रस्तुत हों। 3—कॉलम नम्बर 3 के आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका/नगर पंचायत के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 4— कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 5—कुटुम्ब न्यायालय मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 6—माननीय् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय

			मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला क` द्वारा समय–समय अंतरित किये गये प्रकरण। 7–माननीय् अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 8–कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न वन विधि एवं खनिज विधि से संबंधित प्रकरण।
7.	**सुश्री श्वेता परते, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिछिया, जिला मण्डला, म.प्र.**	**1. थाना–बिछिया,** **2. थाना मवई,** **3. थाना मोतीनाला** (थाना घुघरी के 03 गांव दानीटोला, नंदगांव, मेहगांव, जो कि तहसील बिछिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, से उद्भूत प्रकरण)	1– कॉलम नंबर–3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद, अंतिम प्रतिवेदन, खात्मा प्रकरण। 2– कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां। 3– मुख्यालय मण्डला क्षेत्र से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण। 4– कॉलम नम्बर 3 के थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य, 50 बल्क लीटर से कम के आबकारी अधिनियम के प्रकरण, जो पुलिस द्वारा पेश हों एवं आबकारी वृत्त घुघरी क्षेत्र से उत्पन्न 50 बल्क लीटर से कम के आबकारी अधिनियम के प्रकरण। 5– कॉलम नम्बर 3 के आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक प्रकरण। 6– कॉलम नम्बर 3 के थाना (पुलिस चौकी तुरूर के 16 गांव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर) क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 7–माननीय् अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 8– तहसील बिछिया के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम/वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं खान खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 9–माननीय् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा अंतरित प्रकरण।

8.	**श्री सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला, म.प्र.**	**थाना निवास एवं थाना बीजाडांडी**	1– कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक व विविध आपराधिक प्रकरण, परिवाद कार्यवाहियां, खात्मा प्रकरण । 2–कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 द0प्र0सं0 1973 के भरण पोषण आवेदनों व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 4–कॉलम नंबर–3 के थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले नगरपालिका/नगर पंचायत के क्षेत्र के नगर पालिका विधि के अन्तर्गत उत्पन्न व मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत 50 बल्क लीटर से कम के आबकारी अधिनियम के प्रकरण जो पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा प्रस्तुत हों। 6– तहसील निवास के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम/वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम एवं खान खनिज अधिनियम से संबंधित प्रकरण । 7–माननीय् अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 8–माननीय् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 9–माननीय् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला के आदेशानुसार निवास तहसील से उत्पन्न वन विधि एवं खनिज विधि से संबंधित प्रकरण।
9.	**श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला, म.प्र.**	**थाना –टिकरिया**	1– कॉलम नं.–3 के थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले समस्त दाण्डिक व विविध दाण्डिक प्रकरण, परिवाद कार्यवाहियां, खात्मा प्रकरण। 2– कुटुम्ब न्यायालय मण्डला द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर, कॉलम 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले धारा 125 से 128 द.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन व उनकी प्रवर्तन कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रकरण। 3– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र के, 50 बल्क लीटर से कम के आबकारी अधिनियम के प्रकरण जो पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा पेश हो।

			4– कॉलम नं. 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका/नगर पंचायत के क्षेत्र के, नगर पालिका विधि के अंतर्गत उत्पन्न, मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य दांडिक प्रकरण। 5– कॉलम नम्बर 3 के थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के चेक अनादरण संबंधी प्रकरण। 6–माननीय् अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का विधिवत् निराकरण करना। 7–माननीय् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला के द्वारा अंतरित प्रकरण।

<u>अवकाश एवं अनुपलब्ध रहने की दशा में न्यायिक मजिस्ट्रेटों का कार्यभार निम्नानुसार रहेगा :–</u>

क्रं	मजिस्ट्रेट	प्रभारी मजिस्ट्रेट	द्वितीय प्रभारी मजिस्ट्रेट	तृतीय प्रभारी मजिस्ट्रेट
1	**2**	**3**	**4**	
1.	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला
2	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला
3	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला
4	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला
5	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला
6	श्रीमती जागृति एस. चंद्रकापुरे, न्यायिक	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट

	मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर, जिला मण्डला	श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्रेणी, मण्डला	प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला
7	सुश्री श्वेता परते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिछिया, जिला मण्डला	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला
8	श्री सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला	सुश्री अंजली सिंह, श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला	श्री नरेश सिंह गौंड,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला
9	सुश्री अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला	श्री सीताराम दास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास, जिला मण्डला	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्री नरेश सिंह गौंड,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला

<u>जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण दं.प्र.सं. 1973 की धारा 164 के अंतर्गत कथन लेने के लिये निम्नलिखित थाना क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार रखेंगे</u> :–

क.	थाना	मजिस्ट्रेट	कं0–3 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में	कं0–4 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	थाना मोहगांव, थाना नैनपुर, थाना जी.आर.पी. नैनपुर, (पुलिस चौकी टाटरी के 27–गॉव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं),	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्री नरेश सिंह गौंड,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला
2	थाना बम्हनी, पुलिस चौकी पांडिवारा (तुरूर) के 16–गॉव जो तहसील नैनपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) थाना घुघरी, थाना खटिया	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला, जिला–मण्डला म.प्र.	श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला
3	महिला थाना मण्डला थाना कोतवाली	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्री नरेश सिंह गौंड,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला.

	मण्डला, थाना महाराजपुर			
4	थाना बिछिया थाना मवई, थाना मोतीनाला थाना अजाक	श्री नरेश सिंह गोंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला.	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
5	थाना निवास, थाना बीजाडांडी	सुश्री अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास	श्रीमती शालू सिरोही, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	सुश्री फातिमा अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला
6	थाना टिकरिया	श्री सीतारामदास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास	श्री रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला.	श्री नरेश सिंह गौंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला

<u>टीप:</u>— इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा निर्देशित किये जाने पर किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लिया जावेगा ।

::: सामान्य आदेश :::

1— इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2— इस कार्य विभाजन पत्रक का कोई प्रभाव पूर्व से किसी न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अपंजीकृत परिवाद पत्रों पर नहीं होगा। परंतु जिन मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुये हैं, उनके रिमाण्ड पेपर संबंधित मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।

3— प्रकरण उपार्पण करने के पूर्व मजिस्ट्रेटगण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण के अभियुक्तगण को सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय की जा चुकी हैं तथा केस डायरी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1) के अंतर्गत न्यायालय को प्रेषित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति और धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के कथन संलग्न किये जा चुके हैं। उसी के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे, कि प्रकरण उपार्पित करते समय प्रकरण की सम्पत्ति भी विचारण में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके।

4— किसी भी न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यों में जो किसी मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपलब्ध रहने पर या न्यायालय रिक्त होने की दशा में प्रभारी न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जावेगा, उसमें :— अ— सुपुर्दगी आवेदन (अंतर्गत धारा 451, धारा 457 दं.प्र.स. का निराकरण)।

ब— जमानत आवेदन (अंतर्गत धारा 167, 436, 437 दं.प्र.स. का निराकरण)।

स— संक्षिप्त विचारण के ऐसे प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति की जा रही हो, ऐसे प्रकरण प्रभारी न्यायालय द्वारा (संक्षिप्त विचारण के लिये सशक्त) निराकृत किये जा सकेंगे।

द— अत्यावश्यक कार्यों में ऐसे अभियोग पत्रों को भी ग्रहण करना और प्राप्त करना सम्मिलित होगा, जिसमें 60 दिवस अथवा 90 दिवस की अपेक्षित विधिक परिसीमा का अवसान हो रहा है।

5— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला को सूचना देकर संपूर्ण जिला मण्डला के अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत चलित न्यायालय लगायेंगे एवं अन्य समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (संक्षिप्त विचारण हेतु सशक्त) अपने–अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत माह में कम से कम एक बार माननीय् सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला को पूर्व सूचना देकर चलित न्यायालय लगायेंगे।

6— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 167 की उपधारा (2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत पुलिस रिमाण्ड

स्वीकार करने के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रेषित करेंगे।

7— आकस्मिकता की स्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेटगण की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जा सकेगा।

8— अवकाश के दिन रिमाण्ड के सम्बंध में नियुक्त मजिस्ट्रेट, रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर 03.00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने स्टॉफ के साथ उपस्थित रहकर निष्पादित करेंगे। रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पृथक से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला द्वारा जारी किया जायेगा।

9— जिला मुख्यालय पर रिमाण्ड ड्यूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस दिन जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों का अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करने का क्षेत्राधिकार रहेगा और रिमाण्ड डयूटी पर नियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में प्रथम रिमाण्ड दिया जा सकेगा।

10— यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर नियुक्त मजिस्ट्रेट किसी कारणवश आकस्मिक अवकाश या अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डला को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु प्राप्त कर ली गई है। इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला को अनिवार्यतः देंगे।

11— यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जित अवकाश अथवा लघुकृत अवकाश अथवा प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान करते हैं तथा अपरिहार्य कारणवश कोई कार्य दिवस अवकाश के रुप में घोषित किया जाता है, तब होने वाले उक्त अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी, रिमाण्ड आदेशानुसार निष्पादित की जायेगी।

12— न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाने के आवेदन की एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं एक प्रति प्रभारी मजिस्ट्रेट को अनिवार्यतः भेजेंगे।

13— न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी के स्थानान्तरण होने की दशा में उनके स्थान पर आने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य विभाजन भी इसी कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार रहेगा।

14— अवकाश/अनुपलब्ध रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कार्य विभाजन के अनुसार उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित करने हेतु अधिकृत/विर्निदिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त प्रक्रिया में विचारणीय प्रकरणों अभियोग पत्रों/परिवाद पत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति की दशा में आवश्यकतानुसार निर्णय/निराकरण कर सकेंगे।

15— जिन मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है और वह न्यायालय रिक्त है तो उनसे सम्बंधित समस्त वारण्ट, अन्य विविध कार्यवाहियां, अपील/निगरानी, माननीय अपील न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश का परिपालन सम्बंधी कार्यवाही उस मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जावेगी, जिनके न्यायालय में वर्तमान में उस थाने से संबंधित प्रकरण निराकृत करने का क्षेत्राधिकार इस कार्य विभाजन पत्रक के द्वारा दिया गया है।

16— घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित अपराधों के चालान/परिवाद उसी मजिस्ट्रेट या उसके पद उत्तराधिकारी के समक्ष पेश किये जायेंगे, जिसके आदेश के भंग से अपराध कायम हुआ है।

17— कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को छोड़कर धारा 125 (3) एवं 128 दं.प्र.सं. के निष्पादन से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण एवं भत्ते में परिवर्तन से संबंधित धारा 127 दं.प्र.सं. के प्रकरण उसी मजिस्ट्रेट या उसके उत्तराधिकारी के समक्ष पेश किये जायेंगे, जिनके द्वारा आदेश पारित किया गया था।

18— यह आपराधिक कार्य विभाजन राजस्व जिला मण्डला की सीमा में उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही/प्रकरणों पर लागू होगा।

19— माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण, उक्त अधिसूचना के अनुसार ही प्रस्तुत होंगे और ऐसी अधिसूचना के अनुसार जिन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, वह यथावत रहेगा।

20— इस कार्य विभाजन के निर्वहन में कोई भ्रम उत्पन्न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को

संदर्भित किया जा सकेगा।

21— जिन स्थानों पर ग्राम न्यायालय की स्थापना होकर न्यायाधिकारी की पदस्थापना है, तब उनकी अनन्य अधिकारिता व सुनवायी योग्य प्रकरण अन्य न्यायालयों द्वारा ग्रहण/संस्थित नहीं किये जायेंगे।

22— यदि उपरोक्त कार्य विभाजन में किसी आपराधिक प्रकरण के निराकरण के संबंध में उल्लेख न हो तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला के निराकरण योग्य माना जावेगा।

23— विशेष अधिनियम/विशेष न्यायालय से संबंधित मामलों का निराकरण विशेष न्यायालय द्वारा ही किये जावेंगे। अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष अधिनियम/विशेष न्यायालय से संबंधित मामलों का निराकरण नहीं करेंगे।

24— यदि पूर्व मे किसी न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट जारी किया गया है और स्थाई वारंट के अनुपालन मे पुलिस वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करती है और स्थाई जारी करने वाला न्यायालय कार्यरत नहीं है या समाप्त हो चुका है, तब ऐसे वारंटी को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, जिसके पास वर्तमान मे **उस आरक्षी केन्द्र का प्रभार है, जिसके द्वारा वारंटी को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है** और वहीं न्यायालय ऐसे वारंटी के विरूद्ध अभिलेख बुलाकर और अन्य सुसंगत कार्यवाही कर विधि अनुसार कार्यवाही अग्रसरित करेगा ।

(श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला मण्डला (म.प्र.)

अनुमोदित

(आर.एस. शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मण्डला (म.प्र.)